



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. 2686 / गोप. / 2022

बिलासपुर दिनांक 27/12/2022

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के 39 वीं नियमित बैठक दिनांक 08/08/2022 के प्रस्ताव क्रमांक 02 तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक क्रमांक 09/आपात/2022 दिनांक 18/08/2022 के प्रस्ताव क्रमांक-02 अनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 01 के भाग C-1:- **Conduct of Examination and Evaluation of Student Performance** के कंडिका 3. में सत्रीय एवं सत्रांत परीक्षा एवं मूल्यांकन के निम्नानुसार बिन्दु जोड़े गए हैं-

“5. विद्यार्थियों का सतत आकलन फीडबैक तथा सत्रीय कार्य मूल्यांकन

- (1) विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन की दृष्टि से परामर्शदाता संपर्क कक्षा लेने वाले शिक्षक विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करेंगे एवं उन्हें ऑनलाइन/ऑफलाइन फीडबैक प्रदान करेंगे।
- (2) सत्रीय कार्य मूल्यांकन कार्य परामर्शदाता/संपर्क कक्षा लेने वाले शिक्षक द्वारा ही प्रदान किया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में या उत्तरपुस्तिका अधिक होने की स्थिति में अन्य योग्य/अनुभवी परीक्षकों द्वारा कराया जा सकेगा।

6. सत्रांत परीक्षा एवं उसका मूल्यांकन

- (1) पाठ्यक्रम पूरा होने की स्थिति में सत्र/सेमेस्टर के अंत में सत्रांत परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें स्नातक स्तर की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए कम से कम 03 वर्ष का शिक्षण अनुभव वाले इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक भी सम्मिलित हैं, से कराया जा सकेगा।
- (2) स्नातकोत्तर मामले में शिक्षण अनुभव कम से कम 5 वर्ष रहेगा। ”

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार



कुलसचिव

क्र. 2687 / गोप. / 2022

दिनांक 27/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छ.ग.।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110302।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा. रायपुर, छ.ग.।
4. कुलपति जी के निज सचिव को मान. कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वित्ताधिकारी, पं.सुन्दरलाल शर्मा(मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर/जशपुर/जगदलपुर/कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परीक्षा प्रभारी, पं.सुन्दरलाल शर्मा(मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट, को निर्देशार्थ कि संलग्न सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट में प्रकाशित करें।
9. कार्यालय प्रति।


परीक्षा नियंत्रक

22